

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Arbitration Case No.-212/2023]

Abdul Jabbar.....Appellant
Versus
State of Bihar.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.8.2026	आदेश आवेदक, रेलवे एवं राज्य उपस्थित । रेलवे के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के भूमि का अधिग्रहण रेलवे एक्ट-1956 के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है । अपितु Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013 (RFCTLARR Act 2013) के तहत अधिग्रहित किया गया है । RFCTLARR Act 2013 के तहत प्रमंडलीय आयुक्त इस वाद की सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है । उनका यह भी कहना है कि यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है । आवेदक चाहे तो RFCTLARR ACT-2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के समक्ष वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । आवेदक एवं रेलवे तथा सरकारी अधिवक्ता को सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । RFCTLARR Act 2013 की धारा-51 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्राधिकार' का गठन किया गया है । अतः प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है । तदालोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें ।  आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा । लेखापित एवं शुद्धित ।  आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

